

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर

प्राथमिक अधिकारी:- डॉ. अशोक कुमार RAS

राजस्व रेफरेंस संख्या : 286/2018

सरकार जरिय तहसीलदार, आमेर, तहसील आमेर, जिला--जयपुर।

बनाम  
मंगला पुत्र लादु, जाति--मीणा, निवासी--छापराडी, तहसील--आमेर, जिला--जयपुर।

प्रार्थी,

अप्रार्थी,

( राजस्व रेफरेंस अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम एवं धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत )

उपस्थिति:-

1. परोकार सरकार।
2. अप्रार्थी अधिवक्ता श्री विनोद कुमार सैनी बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 23.10.2019

तहसीलदार, आमेर की ओर से एक रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम छापराडी की खतौनी बन्दोबस्त सम्बत् 2008-27 के ख0नं0 620 से 627, 629, 630, 632 से 636 कुल किता 15 कुल रकबा 665 बीघा 8 बिस्वा किस्म बंजड़ बेहड सिवायचक लगानी दर्ज रही है। उक्त खतौनी बन्दोबस्त के उक्त खसरा नम्बरान के मुताबिक मिलान क्षेत्रफल एकीकरण सम्बत् 2020 के ख0नं0 301 रकबा 665 बीघा 8 बिस्वा किस्म बंजड़ अब्बल बारानी सोयम बंजड़ राजस्व रिकार्ड दर्ज थी। इसमें से नवीन हाल ख0नं0 665 रकबा 0.40 हे0 किस्म बारानी 3 है। उक्त वादग्रस्त भूमि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.11.1961 के अनुसार वन विभाग के नाम अधिसूचित हो गई थी। किन्तु राजस्व रिकार्ड में अमल नहीं होने से अप्रार्थी के नाम दर्ज हो गई। अतः वादग्रस्त भूमि वन विभाग के नाम अधिसूचित होने के कारण खातेदार का नाम राजस्व रिकार्ड हजफ कर वन विभाग के नाम दर्ज की जावें।

सत्य-प्रतिलिपि

तहसीलदार, आमेर से प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कराया जा कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री विनोद कुमार सैनी ने वकालतनामा प्रस्तुत किया, परन्तु इसके पश्चात् अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

परोकार सरकार की बहस सुनी गई। दौराने बहस परोकार सरकार ने कथन किया कि तहसील आमेर के ग्राम छापराडी स्थित साबिक ख0नं0 620 से 627, 629, 630, 632 से 636 कुल किता 15 कुल रकबा 665 बीघा 8 बिस्वा किस्म बंजड़ बेहड सिवायचक लगानी दर्ज रही है। उक्त खतौनी बन्दोबस्त के उक्त खसरा नम्बरान के मुताबिक मिलान क्षेत्रफल एकीकरण सम्बत् 2020 के ख0नं0 301 रकबा 655 बीघा 8 बिस्वा किस्म बंजड़ अब्बल बारानी सोयम बंजड़ राजस्व रिकार्ड दर्ज थी। इसमें से नवीन हाल ख0नं0 665 रकबा

केवल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है।

हे0 किस्म बारानी 3 है। उक्त वादग्रस्त भूमि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.11.1961 के अनुसार वन विभाग के नाम अधिसूचित हो गई थी, किन्तु राजस्व रिकार्ड में अमल नही होने से वर्तमान तक अप्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है। खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2008-2027 के अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि की किस्म बंजड बेहड सिवायचक लगानी दर्ज थी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने (पी.आई.एल.) रिट सं0 17036/2015 की अनुपालना बाबत् जिला कलक्टर, जयपुर के पत्रांक आर-6( ) 16/4535 दिनांक 06.07.2016 की पालना में नियम विरुद्ध दर्ज खातेदार का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ कर वन विभाग के नाम दर्ज किया जावे। राज्य सरकार के पत्रांक प.2 (684)/राज/गुप-3/06 दिनांक 06.03.2006 द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि वन विभाग की भूमि घोषित करने की अधिसूचना जारी होने के समय राजस्व रिकार्ड में जो भूमियां सिवायचक दर्ज थी और अधिसूचना की समय पर अनुपालना नही होने के कारण राजस्व रिकार्ड में वन भूमि के नाम अमल दरामद नही होने से आवंटन अधिकारियों द्वारा कृषि भूमि हेतु भूमिहीन कृषकों को आवंटित कर दी गई थी या नियमन कर दी गई थी या उन पर खातेदारी अधिकार दे दिये गये थे। ऐसी भूमियों की खातेदारी निरस्त कर वन विभाग के नाम दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये गये है। अतः वादग्रस्त भूमि की खातेदारी निरस्त कर वादग्रस्त भूमि को वन भूमि घोषित की जावे।

हमने एकपक्षीय बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2008-2027 में तहसील आमेर के ग्राम छापराडी स्थित साबिक ख0नं0 620 से 627, 629, 630, 632 से 636 कुल किता 15 कुल रकबा 665 बीघा 8 बिस्वा किस्म बंजड बेहड सिवायचक दर्ज रही थी। उक्त खतौनी बन्दोबस्त के खसरा नम्बरान के मुताबिक मिलान क्षेत्रफल एकीकरण सम्वत् 2020 के ख0नं0 301 रकबा 665 बीघा 8 बिस्वा किस्म बंजड अव्वल बारानी सोयम बंजड राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। जिसके हाल ख0नं0 665 रकबा 0.40 हे0 किस्म बारानी 3 है। उक्त भूमि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.11.1961 के अनुसार वन विभाग के नाम अधिसूचित हो गई थी। जो वर्तमान खतौनी बन्दोबस्त में मंगला पुत्र लादू जाति-मीणा के नाम दर्ज रिकार्ड हो गई। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत उल्लेखित गैर-मुमकिन वन भूमि का आवंटन किसी को नही किया जा सकता। किन्तु अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत वन भूमि का आवंटन निजी खातेदार को आवंटन कर खातेदारी दी गई है जो प्रारंभ से शून्य है और ऐसे प्रारंभ से शून्य आधारित निर्णय आज्ञा अथवा अन्य प्रक्रिया के अनुसरण में एवं इसके पश्चात् की गई नामान्तरकरण/अमल दरामद की समयावधि स्वतः ही अवैध हो जाती है। शून्य आधारित आज्ञा के परिणामस्वरूप यदि अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये है और इसके अनुसरण में राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद हुआ है तो वह प्रभाव शून्य है। शून्य आधारित आदेश के विरुद्ध कभी भी रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्ड पीठ, जयपुर में दायर डी.बी. (पी.आई.एल.) रिट नं0 17036/2015 उनवानी

सत्य-प्रतिलिपि

तिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ)  
जयपुर



अभिसूचना पीपुल्स वाईस बनाम सरकार एवं राज्य सरकार के पत्रांक प.2  
(684)/राज/गुप-3/06 दिनांक 06.03.2006 की पालना में राज्य सरकार की  
अधिसूचना दिनांक 19.11.1961 के अनुसार वादग्रस्त भूमि के वन विभाग के नाम  
अधिसूचित होने के कारण प्रार्थी तहसीलदार, आमेर द्वारा रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है।  
परिणामतः उक्त विवेचनानुसार वादग्रस्त आराजी ख0नं0 665 रकबा 0.40 हे0 किस्म  
बारानी 3 वाके ग्राम छापराडी का आवंटन बहक मंगला पुत्र लादू, जाति-गीणा,  
निवासी-ग्राम छापराडी, तहसील-आमेर, जिला-जयपुर को आवंटन की सीमा तक निरस्त  
करने एवं इस आवंटन के फलस्वरूप आवंटी के हक में दर्ज में किये गये इन्द्राजात एवं  
इसके पश्चात् की गई समस्त कार्यवाही/इन्द्राजों को निरस्त कर राजस्थान भू-राजस्व  
अधिनियम, 1955 की धारा 82 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 232  
के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान,  
अजमेर को प्रेषित है। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व  
मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावें।

निर्णय-सरे इजलास आज दिनांक 23.10.2019 को सुनाया गया।



सत्य-प्रतिलिपि

अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ),  
जयपुर

(डॉ. अशोक कुमार)

बाबांरक्त कलक्टर (चतुर्थ),  
जयपुर